पत्रांक /आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/विधि अनुभाग/2014-15 /देहरादून

कार्यालय, आयुक्त कर उत्तराखण्ड

(विधि-अनुभाग)

देहरादूनः दिनांक 25 मई 2014

-:विज्ञप्तिः-

उत्तराखण्ड वाणिज्य कर विभाग में कर निर्धारण हेतु डिप्टी कमिश्नर (क0नि0), तथा खण्ड में तैनात असिस्टेन्ट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी कार्यरत है। कर निर्धारण अधिकारी के श्रेत्राधिकार हेतु मौद्रिक सीमाएं परिपत्र संख्या-3341/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0 कर/वैट अनुभाग/2007-08 देहरादून दिनांक 4, जनवरी 2008 द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित की गई थी।

1	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)	1 करोड़ से अधिक कर योग्य विकय धन
2	असिस्टेन्ट कमिश्नर	15 लाख से अधिक व 1 करोड तक सकल विकयधन
3	वाणिज्य कर अधिकारी	रू0 15 लाख तक सकल विकयधन

वर्तमान में भी इसी मौद्रिक सीमा के अनुसार अधिकार निर्धारित है।

उल्लेखनीय है कि मुद्रास्फीती की दर को देखते हुए पूर्व में निर्धारित मौद्रिक सीमा अव्यवहारिक हो जाती है। अतः उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचारोपरान्त दिनांक 04-01-2008 को जारी उक्त परिपत्र को अतिक्रमित करते हुए कर निर्धारण अधिकारियों के क्षेत्राधिकार हेतु मौद्रिक सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:-

1	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)	2 करोड़ से अधिक सकल विकयधन
2	असिस्टेन्ट कमिश्नर	25 लाख से 2 करोड़ सकल विकयधन
3	वाणिज्य कर अधिकारी	25 लाख तक सकल विकयधन

- यह मौद्रिक सीमा 01.06.2014 के बाद निस्तारित किये जाने वाले 2011-12 एवं उसके बाद के वर्षो के कर निर्धारण वादों के लिए लागू होगी।
- यह भी निर्देश दिये जाते है कि असिस्टेन्ट कमिश्नर कार्यालय से सभी पत्रावलियॉ जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक हो डिप्टी कमिश्नर को ट्रासफर कर दी जायें तथा 2 करोड़ तक की टर्न ओवर वाली सभी पत्रावलियॉ डिप्टी कमिश्नर से असिस्टेन्ट कमिश्नर को ट्रान्सफर कर दी जायें। किन्तु जिन खण्डों के सम्बन्ध में डिप्टी कमिश्नर का अधिकार क्षेत्र नहीं है, वहां पत्रावलियां ट्रांसफर नहीं होगी।
- 25 लाख तक की टर्नओवर वाले व्यापारियों से सम्बन्धित वाद वाणिज्य कर अधिकारी की पेन्डेसी पर आ जाएगें जो पत्रावलियां एक कर निर्धारण कार्यालय से दूसरे कर निर्धारण कार्यालय को ट्रांसफर हो रही उनके सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जाये कि पत्रावलियों के साथ Dealer Data Base में भी electronic ट्रान्सफर की प्रकिया पूर्ण कर ली गई हैं।
- प्रत्येक डिप्टी कमिश्नर के लिए कर निर्धारण हेतु न्यूनतम व्यापारियों की संख्या 250 प्रतिवर्ष तथा असिस्टेन्ट कमिश्नर हेतु न्यूनतम व्यापारियों की संख्या 350 निर्धारित किये जाते है।

पेज-2

- यदि किसी डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) के अधिकार क्षेत्र में उक्त निर्धारित न्यूनतम व्यापारियों की संख्या से कम व्यापारी हैं तो यह संख्या पूरी करने हेतु सम्बन्धित खण्ड के टॉप डीलर्स को इस प्रकार से डिप्टी कमिश्नर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि यह संख्या 250 हो जाए। इसी प्रकार खण्डाधिकारी की पेन्डेन्सी पर न्यूनतम से कम संख्या के व्यापारी होने पर वाणिज्य कर अधिकारी की पेन्डेन्सी के टॉप डीलर्स को लेकर यह संख्या पूर्ण की जाएगी।
- जिन व्यापारियों की पत्रावली एक कर निर्धारण कार्यालय से दूसरे कर निर्धारण कार्यालय को ट्रांसफर की गई है, ऐसे मामलों में सम्बन्धित व्यापारी को भी इस आशय की सूचना प्रेषित कर दी जाए कि उनकी पत्रावली अन्य कार्यालय को ट्रांसफर कर दी गई हैं ताकि भविष्य में उनके द्वारा उसी कार्यालय से सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

इस संबंध में कर निर्धारण कार्य में लगे सभी अधिकारियों को आदेश दिये जाते है कि <u>वे दिनांक 30.06.2014 तक</u> सभी अभिलेखों का हस्तान्तरण पूर्ण कर ले तथा पंजी आर–5(ए) पर अनिस्तारित वादों की पेंडेंसी ठीक कर लें।

इस सन्दर्भ में एडिशनल कमिश्नर (जोन) व ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) उक्त निर्देशों के अनुपालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को देगे तथा मानिटरिंग करेंगे। सभी ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) इस आशय की रिपोर्ट कि उक्त निर्देशों के अनुरूप अभिलेखों का हस्तान्तरण हो गया है, **<u>दिनांक 15–07–2014 तक</u>** मुख्यालय भेजेगें एवं उसकी एक प्रति एडिशनल कमिश्नर (जोन) को भी भेजेगें।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 832 /दिनांक उक्त।

<u>प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1– सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
3– सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4– एडिशनल कमिश्नर (**आडिट/प्रवर्तन**) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
5– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमांऊ जोन रूद्रपुर
6– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**
7– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
8– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश**

पेज–3

832
24/5/14

के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9— श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर(क0नि0—3) देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।

10— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।

11— आई0टी0—अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।

12—Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13— आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई—400001 महाराष्ट्र।

13—National Law House बी—2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

14—National Law and Management House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

15—Swastk Publication एस0ई—233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

16—Law Book Traders 10—नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड़ मेरठ उ0 प्र0।

17—डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।

18— समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।